


03/08/21

वकील वादी उप० नहीं। बार-बार
आवाज दिलाई गई। वकील वादी
को आन्तम आवाज साम 5:30
बजे दिलाई गई। वकील वादी
उपस्थित नहीं। अतः वादी का
वाद अदम हाजरी व अदम पेशी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम होकर वाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
अलवर